न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी
सौरभ स्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
02/2021 GCMS NO 2021/32	25.07.2022	16.09.2022

प्रार्थी		अप्रार्थी/बाकीदार–ऋणी
पंजाब नेशनल बैंक, मंडल शस्त्र विभाग, तृतीय तल, एलआईसी भवन सब सिटी सेन्टर रेती स्टेण्ड उदयपुर	बनाम	श्री राजेन्द्र कुमावत पुत्र श्री भंवर लाल कुमावत, गांव एवं पोस्ट खेरोट तहसील प्रतापगढ़ जमानतदार :– श्री समर्थ कुमावत पुत्र श्री भंवर लाल कुमावत गांव व पोस्ट खेरोट श्री भागीरथ कुमावत पुत्र श्री शंकरलाल कुमावत, वार्ड नंबर 20, मानपुरा,तहसील प्रतापगढ़

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के तहत्</u>

उपस्थिति :–

श्री सचिन पटवा अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष

दिनांक :–16.09.2022

–: आदेश :–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.11.2014 को अप्रार्थी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्री राजेन्द्र कुमावत पुत्र श्री भंवर लाल कुमावत के नाम संस्थागत सम्पत्ति सर्वे नंबर 273 एम आई एन एवं 3199/274 जो प्रतापगढ़ –रतलाम रोड, गांव दलोट तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ पर स्थित है जिसका क्षैत्रफल 2000 वर्गमीटर है। जिसकी सीमाएं उत्तर में कृषि भूमि सर्वे नंबर 273, दक्षिण कृषि भूमि सर्वे नंबर 274, पूर्व रोड एवं कृषि भूमि सर्वे नंबर 275, पश्चिम अन्य कृषि भूमि स्थित है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

उक्त सम्पत्ति को बंधक रख कर 12500000/–अक्षरे एक करोड पच्चीस लाख रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.04.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजुद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। विपक्षी को समन जारी किये गये परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षी ऋणी को दिनांक 25.04.2021 को धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड जारी किया गया है। जिसकी अप्रार्थी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विपक्षी को सुनने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
5. अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में रखी गई श्री राजेन्द्र कुमावत पुत्र श्री भंवर लाल कुमावत के नाम संस्थागत सम्पत्ति सर्वे नंबर 273 एम आई एन एवं 3199/274 जो प्रतापगढ़ –रतलाम रोड, गांव दलोट तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ पर स्थित है जिसका क्षैत्रफल 2000 वर्गमीटर है। जिसकी सीमाएं उत्तर में कृषि भूमि सर्वे नंबर 273, दक्षिण कृषि भूमि सर्वे नंबर 274, पूर्व रोड एवं कृषि भूमि सर्वे नंबर 275, पश्चिम अन्य कृषि भूमि स्थित है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 16.09.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर,
प्रतापगढ़

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है
1. जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़
2. पंजाब नेशनल बैंक, मंडल शस्त्र विभाग, तृतीय तल, एलआईसी भवन सब सिटी सेन्टर रेती स्टेण्ड उदयपुर